रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57] दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2009/चैत्र 30, 1931 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 14

No. 57] DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2009/CHAITRA 30, 1931 [N.C.T.D. No. 14

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य

आयुक्त का कार्यालय

आदेश

दिल्ली, 20 अप्रैल, 2009

सं फा.3(4)/2009/एफ एण्ड एस/पी एण्ड सी/141.—जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल ने दिनांक 20 जून, 2002 के आदेश संख्या 3(4)/2002/एफ एण्ड एस/पी एण्ड सी (2)/19 के माध्यम से दिल्ली चीनी व्यापारी लाइसेंस आदेश, 1963 को निरस्त किया था।

और, जबकि, केन्द्र सरकार ने अधिसूचना सं. का.आ. 649(अ), दिनांक 9 मार्च, 2009 के उपभोक्ता कार्य मंत्रालय तथा इसके खाद्य पदार्थ एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने विशिष्ट खाद्य पदार्थों (संशोधन) (लाइसेंस अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा तथा आवागमन प्रतिबंध) आदेश, 2009 जारी किया था।

और, जबकि, उपरोक्त आदेश के खण्ड 2, 3 तथा 4 में प्रावधान हैं कि—

2. खरीद, आवागमन बिक्री आपूर्ति वितरण एवं बिक्री के लिए भण्डारण के विषय में, (लाइसेंस अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा तथा आवागमन प्रतिबंध) की समाप्ति का आदेश, 2002 में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों को कुछ उपभोक्ता पदार्थ चीनी के लिए इस आदेश के जारी होने की तिथि से चार माह की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक तथा इनमें जो भी पहले हो स्थगित रखा गया है।

3. इस आदेश में किसी भी उल्लेख से चीनी के राज्य से बाहर परिवहन, वितरण या बिक्री कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा न ही यह आदेश इस उपभोक्ता पदार्थ के आयात पर लागू होगा। उपबंध हैं कि केन्द्र या राज्य सरकार आयातकों को चीनी के स्टॉक प्राप्त करने तथा उनके पास उपलब्ध स्टॉक को घोषित करने का निदेश दे सकती है।

4. विशिष्ट खाद्य पदार्थों (संशोधन) (लाइसेंस अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा तथा आवागमन प्रतिबंध) हटाना आदेश, 2002 के अन्य सभी उपबंध उक्त खण्ड 2 में उल्लिखित अवधि के दौरान भी प्रवृत्त रहेंगे।

इसलिए, अब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिनांक 9 जून, 1978 के खाद्यान्न विभाग भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 800 द्वारा जारी आदेश के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा आदेश देते हैं कि दिल्ली चीनी व्यापारी लाइसेंस आदेश, 1963 संबंधी दिनांक 9 जून, 2002 के आदेश संख्या फा. 3(4)/2002/एफ एण्ड एस/पी एण्ड सी (2)/19 के आदेश इसके द्वारा विशिष्ट खाद्य पदार्थों (संशोधन) (लाइसेंस

अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा तथा आवागमन प्रतिबंध) आदेश, 2009 के उपबंधों की सीमा तक इस आदेश के जारी होने या केन्द्र सरकार के अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, स्थगित रखे जाएंगे ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

जे. पी. अग्रवाल, संयुक्त सचिव

OFFICE OF THE COMMISSIONER

FOOD, SUPPIES AND CONSUMER AFFAIRS

ORDER

Delhi, the 20th April, 2009

No. F. 3 (4)/2009/F&S/P&C/141.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi has rescinded the Delhi Sugar Dealers Licensing Order, 1963 *vide* Order No. F. 3(4)/2002-F&S/P&C(2)/19 dated the 20th June, 2002;

And whereas the Central Government *vide* Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs *vide* Notification No. S.O. 649(E), dated 9th March, 2009 has issued the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2009 and its clauses 2, 3 and 4 provide as under :—

2. The words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodity, namely, Sugar for a period of four months from the date of issue of this Order or further Order, whichever is earlier.

3. Nothing contained in this Order shall affect the transport, distribution or disposal of Sugar to places outside the State, nor shall it be applicable to import of this commodity :

   Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare the receipts of stocks of sugar, and stocks retained by them.

4. All other provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2 above.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the order issued by the Government of India, Department of Food Notification No. G.S.R. 800 dated the 9th June, 1978, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby orders that Order No. F. 3(4)/2002/F&S/P&C(2)/19 dated the 20th June, 2002, relating to Delhi Sugar Dealers Licensing Order, 1963, shall be kept in abeyance, to the extent of the provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2009 for a period of four months from the date of issue of the said Order or further Order of Central Government, whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

J. P. AGRAWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 | भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA | REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73] दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2009/वैशांख 28, 1931 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 41

No. 73] DELHI, MONDAY, MAY 18, 2009/VAISAKHA 28, 1931 [N.C.T.D. No. 41

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य आयुक्त का कार्यालय

आदेश

दिल्ली, 18 मई, 2009

सं. फा. 3(4)/2002/एफ एवं एस/पी. एवं सी./162.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिनांक 20 जून, 2002 के आदेश सं. फा. 3(4)/2002/एफ एवं एस/पी. एवं सी.(1)/21 के द्वारा दिल्ली गेहूँ (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) आदेश, 1996 रद्द करते हैं;

जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) भारत सरकार की दिनांक 25 अक्तूबर, 1972 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 452(अ) के द्वारा जारी आदेश के साथ पठित अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 नवम्बर, 2008 के आदेश संख्या 3(4)/2002/एफ एवं एस/पी. एवं सी.(1)/2602 के द्वारा आदेश देते हैं कि दिल्ली गेहूँ (लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण) आदेश, 1996 तथा दिल्ली दाल (व्यापारी का लाइसेंसिंग) आदेश, 1974 से संबंधित 12 जुलाई, 2004 के आदेश संख्या 3(4)/2002–एफ एवं एस/पी एवं सी(1)/206 का, उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से या अगले आदेश तक इसमें जो भी पहले हो, 30 अप्रैल, 2009 की आगामी अवधि के लिए विनिर्दिष्ट खाद्यान्न (तीसरा संशोधन) (आदेश), 2008 पर हटाए जाने के उपबंधों की सीमा तक (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) क्रमश: पालन किए जाएंगे;

जबकि केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता कार्यकलाप खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग के दिनांक 30 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 880(अ) के द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्यान्नों (द्वितीय संशोधन) हटाए जाने का आदेश, 2009 (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) जारी किया और जबकि उपरोक्त आदेश के खण्ड में निम्नलिखित व्यवस्था है।

2. 27 अगस्त, 2008 के आदेश संख्या का.आ. 2117(अ) में–

(i) पैरा 2 में "गेहूँ तथा" शब्दों को हटाया जाएगा।

(ii) पैरा 3 में "गेहूँ तथा" शब्दों को हटाया जाएगा।

ऐसे हटाए जाने से पूर्व किए गए अथवा किए जाने के लिए हटाई गई वस्तुओं को छोड़कर 1 अप्रैल, 2007 से लागू होंगे।

अब इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), भारत सरकार द्वारा दिनांक 9 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 800 द्वारा जारी आदेश के साथ पठित अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आदेश देते हैं कि दिल्ली गेहूँ (लाइसेंसिंग

नियंत्रण) आदेश, 1996 से संबंधित 20 जून, 2002 के आदेश संख्या 3(4)/2002/एफ एवं एस/पी. एवं सी(1)/21 विनिर्दिष्ट खाद्यान्नों (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2009 पर (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) हटाए जाने के उपबंध की सीमा तक आगे संशोधित किया जाएगा ।

OFFICE OF THE COMMISSIONER : FOOD SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS

ORDER

Delhi, the 18th May, 2009

No. F. 3(4)/2002/F & S/P & C/162.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi rescinded the Delhi Wheat (Licensing and Control) Order, 1996 *vide* Order No. F. 3(4)/2002-F & S/P & C(1)/21 dated 20th June, 2002;

Whereas, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, in exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the order issued by the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) Notification No. G.S.R. 452(E) dated the 25th October, 1972, ordered *vide* Order No. F. 3(4)/2002/F&S/P&C/2602 dated the 7th November, 2008 that Order No. F. 3(4)/2002/F&S/Policy(1)/206 dated the 12th July, 2004 relating to the Delhi Wheat (Licensing and Control) Order, 1996 and the Delhi Pulses (Licensing of Dealer) Order, 1974 respectively, shall be kept in abeyance, to the extent of the provision of the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Third Amendment) Order, 2008; for a further period upto 30th April, 2009 from the date of issue of the said order or further order, whichever is earlier;

Whereas, the Central Government *vide* Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs Notification No. S.O. 880(E) dated 30th March, 2009 has issued the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on specified foodstuffs (Second Amendment) Order, 2009;

And whereas clause 2 of the aforesaid Order provides :—

2. In the Order number S.O. 2117 (E), dated the 27th August, 2008,

(i) in para 2, the words "wheat and" shall be omitted;

(ii) in para 3, the words "wheat and" shall be omitted,

with effect from 1st April, 2009, except as respect things done or omitted to be done before such omission.

Now, therefore, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, in exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the order issued by the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) Notification No. G.S.R. 800 dated the 9th June, 1978, hereby orders that Order No. F.3(4)/2002 F & S/P & C(1)/21 dated 20th June, 2002, relating to the Delhi Wheat (Licensing and Control) Order, 1996 shall be further amended to the extent of the provisions of Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on specified foodstuffs (Second Amendment) Order, 2009.

सं. फा. 3(4)/2002/एफ एवं एस/पी. एवं सी/163.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिनांक 12 जुलाई, 2004 के आदेश सं. 3/17/2003-एफ एवं एस/नीति(1)/206 के अनुसार दिल्ली दाल (व्यापारी लाइसेंसिंग), आदेश, 1974 रद्द करते हैं;

जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली गेहूँ (लाइसेंस एवं नियंत्रण) आदेश, 1996 दिल्ली दाल (लाइसेंस एवं नियंत्रण) आदेश, 1974 संबंधी क्रमश: दिनांक 7 नवम्बर, 2008 के आदेश संख्या 3(4)/2002/ एफ एवं एस/ पी. एवं सी/2602 तथा 12 जुलाई, 2004 के आदेश संख्या 3(4)/2002/एफ एवं एस/पी एवं सी/206 के अनुसार आदेश किए गए कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), भारत सरकार के दिनांक 25 अक्तूबर, 1972 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 452(अ) के द्वारा जारी आदेश के साथ पठित अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश आगामी आदेश, जो भी पहले हो, जारी होने की तिथि से 30 अप्रैल, 2009 तक की आगामी अवधि के लिए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (तृतीय संशोधन) आदेश, 2008 के निवारण (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) उपबंधों तक स्थगित करते हैं;

जबकि केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता कार्यकलाप खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग के दिनांक 2 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 906(अ) के द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण (चौथा संशोधन) आदेश, 2009 जारी किया गया है;

और जबकि पूर्वोक्त आदेश के खण्ड 1(2), 2, 3 और 4 में व्यवस्था है :—

1(2) यह मई, 2009 के प्रथम दिन प्रभावी होगा ।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण आदेश, 2002 में बिक्री के लिए क्रय, लाने ले जाने बिक्री, पूर्ति, वितरण या भंडारण संबंधी प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां इस आदेश के लागू होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2009 तक की आगामी अवधि के लिए वस्तुएं अर्थात् दाल एवं धान के लिए स्थगित रखे जाएंगे ।

3. इस आदेश का कुछ भी राज्य से बाहर के स्थानों में दालों एवं धान की ढुलाई, वितरण या निपटान पर प्रभाव नहीं डालेगा या न ही इन वस्तुओं के आयात पर लागू होगा :

शर्त यह है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें इन वस्तुओं के स्टाक की प्राप्तियां तथा उनके द्वारा रखे गए स्टाक की घोषणा करने के लिए आयातकर्ताओं को निर्देश दे सकती है ।

व्याख्या : यदि कोई थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता या व्यापारी आयात से प्राप्त अपने स्टाक के भाग को प्रदर्शित करने में सफल रहता है तब उन्हें स्टाक सीमा की गणना करने के प्रयोजन के लिए बाहर रखा जाएगा ।

4. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) के निवारण संबंधी आदेश, 2002 के सभी अन्य उपबंध प्रवृत्त रहेंगे जहाँ तक उक्त खण्ड 2 में उल्लिखित अवधि के दौरान थी ।

अब, इसलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), भारत सरकार द्वारा दिनांक 9 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 800 द्वारा जारी आदेश के साथ पठित अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल आदेश देते हैं कि दिल्ली दाल (व्यापारी का लाइसेंस), आदेश, 1974 से संबंधित 12 जुलाई, 2004 के आदेश संख्या 3(17)/2003-एफ एण्ड एस/नीति (1)/206 इस आदेश के प्रवृत्त होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2009 तक की आगामी अवधि के लिए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण आदेश, 2009 के उपबंधों की सीमा तक स्थगित रखा जाएगा ।

No. F. 3(4)/2002/F&S/P&C/163.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi rescinded the Delhi Pulses (Licensing of Dealer) Order, 1974 *vide* order No. F.3(17)/2003/F&S/Policy (1)/206 dated 12th July 2004;

Whereas, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, in exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the order issued by the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) *vide* Notification No G.S.R. 452(E), dated the 25th October, 1972, ordered *vide* Order No F. 3(4)12002/F&S/P&C/2602, dated the 7th November, 2008 that Order No. F. 3(4)/2002/F&S/Policy (1)/206, dated the 12th July, 2004 relating to the Delhi Wheat (Licensing and Control) Order, 1996 and the Delhi Pulses (Licensing of Dealer) Order, 1974 respectively, shall be kept in abeyance, to the extent of the provisions of the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Third Amendment) Order, 2008; for a further period up to 30th April, 2009 from the date of issue of the said order or further order, whichever is earlier;

Whereas the Central Government *vide* Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Department of Consumer Affairs, Notification S.O. 906(E), dated 2nd April, 2009 has issued the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Fourth Amendment) Order, 2009;

And whereas clause 1 (2), 2, 3 and 4 of the aforesaid Order provides :—

1(2). It shall come into force on the first day of May, 2009.

2. The words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, pulses and paddy for a further period up to 30th September, 2009 from the date of commencement of this order.

3. Nothing contained in this order shall affect the transport, distribution or disposal of pulses and paddy to places outside the State, nor shall it be applicable to import of these commodities :

Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare the receipts of stocks of these commodities, and stocks retained by them.

Explanation : If a wholesaler or retailer or dealer is able to demonstrate that part of his or her stocks are sourced from imports, then these would be excluded for the purpose of calculation of stock limits.

4. All other provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2 above.

Now, therefore, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, in exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the order issued by the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) Notification No. G.S.R. 800, dated the 9th June, 1978, hereby orders that Order No. F. 3(17)/2003/F&S/Policy (1)/206, dated the 12th July, 2004 relating to the Delhi Pulses (Licensing of Dealer) Order, 1974 shall be kept in abeyance, to the extent of the provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Fourth Amendment) Order 2009; for a further period up to 30 September, 2009 from the date of commencement of this Order.

सं. फा. 3(4)/2002/एफ एण्ड एस/पी एण्ड सी/ 164.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल दिनांक 9 मार्च, 1998 के आदेश सं फा. 9/1/97-एफ एण्ड एस/नीति (11)/252

के अनुसार दिल्ली खाद्य तेल (लाइसेंस एवं नियंत्रण) आदेश, 1974 तथा दिनांक 20 जून, 2002 के आदेश संख्या फा. 3(4)/2002/एफ एण्ड एस/ पी एण्ड सी (3)/17 के अनुसार दिल्ली खद्यान्न व्यापारी लाइसेंस आदेश, 1988 रद्द करते हैं ।

जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) भारत सरकार की दिनांक 25 अक्तूबर, 1972 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 452(अ) के द्वारा जारी आदेश के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 12-5-2008 को आदेश दिया कि वह दिल्ली खाद्य तेल (लाइसेंस एवं नियंत्रण) आदेश, 1977 तथा दिल्ली खाद्यान्न व्यापारी लाइसेंस आदेश, 1988 संबंधी क्रमश: दिनांक 9 मार्च, 1998 के आदेश संख्या 9(1)/97-एफ एण्ड एस/पी एण्ड सी (ii)/252 तथा 20 जून, 2002 का आदेश संख्या एफ 3(4)/2002/एफ एण्ड एस/पी एण्ड सी (3)/17 उक्त आदेश या आगामी आदेश, जो भी पहले हो, जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2008 के निवारण (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) उपबंधों तक स्थगित रखते हैं ।

जबकि केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता कार्यकलाप खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग के दिनांक 2 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 905(अ) के द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण (तीसरा संशोधन) आदेश, 2009 जारी किया गया है ।

और जबकि पूर्वोक्त आदेश के खण्ड 2, 3 और 4 में व्यवस्था है :–

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण आदेश, 2002 में बिक्री के लिए क्रय, लाने ले जाने बिक्री, पूर्ति, वितरण या भंडारण संबंधी प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां इस आदेश के लागू होने की तिथी से 30 सितम्बर, 2009 तक की आगामी अवधि के लिए वस्तुएं अर्थात् खाद्य तेल एवं तिलहन के लिए स्थगित रखे जाएंगे ।

3. इस आदेश का कुछ भी राज्य से बाहर के स्थानों में खाद्य तेल एवं तिलहन की ढुलाई, वितरण या निपटान पर प्रभाव नहीं डालेगा या न ही इन वस्तुओं के आयात पर लागू होगा :

शर्त यह है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें इन वस्तुएं के स्टाक की प्राप्तियां तथा उनके द्वारा रखे गए स्टाक की घोषणा करने के लिए आयातकर्ताओं को निर्देश दे सकती है ।

व्याख्या : यदि कोई थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता या व्यापारी आयात से प्राप्त अपने स्टाक के भाग को प्रदर्शित करने में सफल रहता है तब उन्हें स्टाक सीमा की गणना करने के प्रयोजन के लिए बाहर रखा जाएगा ।

4. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण संबंधी आदेश, 2002 के सभी अन्य उपबंध प्रवृत्त रहेंगे जहाँ तक उक्त खण्ड 2 में उल्लिखित अवधि के दौरान थी ।

अब, इसलिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), भारत सरकार द्वारा दिनांक 9 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 800 द्वारा जारी आदेश के साथ पठित अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल आदेश देते हैं कि दिल्ली खाद्य तेल (लाइसेंस तथा नियंत्रण), आदेश, 1977 तथा दिल्ली खाद्यान्न व्यापारी (लाइसेंसिंग) आदेश, 1988 से संबंधित क्रमश: 9 मार्च, 1998 के आदेश संख्या 9(1)/97/एफ एण्ड सी/पी एण्ड सी (2)/252 तथा दिनांक 20 जून, 2002 के आदेश सं. 3(4)/2002//एफ एण्ड एस/पी एण्ड सी (3)/17 इस आदेश के प्रवृत्त होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2009 तक की आगामी अवधि के लिए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण (तीसरा संशोधन) आदेश, 2009 के उपबंधों की सीमा तक स्थगित रखा जाएगा ।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
जे. पी अग्रवाल, संयुक्त सचिव

No. F. 3(4)/2002/F&S/P&C/164.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi rescinded the Delhi Edible Oils (Licensing and Control) Order, 1977 *vide* Order No. F. 9(1)/97/F&S/(P&C)/II/252, dated the 9th March, 1998, and the Delhi Foodgrains Dealers Licensing Order, 1988 *vide* Order No. F. 3(4)/2002/ F&S/P&C (3)/17, dated the 20th June, 2002;

Whereas, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the Order issued by the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) *vide* Notification No G.S.R. 452(E), dated the 25th October, 1972, ordered on 12-5-2008 that Order No F. 9(1)/97/F&S/(P&C)/(II)/252, dated the 9th March, 1998 and Order No. F. 3(4)/2002/F&S/P&C/ (3)/17, dated the 20th June, 2002 relating to the Delhi Edible Oils (Licensing and Control) Order, 1977 and the Delhi Foodgrain Dealers Licensing Order, 1988, respectively, shall be kept in abeyance, to the extent of the provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Second Amendment) Order, 2008, for a period of one year from the date of issue of this order or further order, whichever is earlier;

Whereas the Central Government *vide* Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Department of Consumer Affairs, Notification No. S.O. 905(E), dated 2nd April, 2009 has issued the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Third Amendment) Order 2009;

And whereas clause 2, 3 and 4 of the aforesaid order provides :—

2. The words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs order, 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, edible oils, edible oilseeds and rice for a further period upto 30th September, 2009 from the date of commencement of this order.

3. Nothing contained in this order shall affect the transport, distribution or disposal of edible oils, edible oilseeds and rice to places outside the State, nor shall it be applicable to import of these commotities :

Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare the receipts of stocks of these commodities, and stocks retained by them.

Explanation : If a wholesaler or retailer or dealer is able to demonstrate that part of his or her stocks are sourced from imports, then these would be excluded for the purpose of calculation of stock limits.

4. All other provisions of the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movoement Restrictions) on Specified Foodstuffs order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2 above.

Now, therefore, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, in exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the order issued by the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) Notification No G.S.R. 800 dated the 9th June, 1978, hereby orders that Order No. F. 9(1)/97/F&S/(P&C)/(II)/252 dated the 9th March, 1998 and order No. F. 3(4)/2002/F&S/P&C/(3)/17 dated the 20th June, 2002 relating to the Delhi Edible Oils (Licensing and Control) Order, 1977 and the Delhi Food Grain Dealers Licencing Order, 1988, respectively, shall be kept in abeyance to the extent of the provisions of the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Third Amendment) Order, 2009; for a further period up to 30 September, 2009 from the date of commencement of this Order.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

J. P. AGRAWAL, Jt. Secy.

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली 18 मई, 2009

सं फा/III/104/सीटीटी/2006/प्रशा/अधिसूचना/1468.— दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम, 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं; अर्थात् :–

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु.)	पदनाम
1.	श्री प्रशांत राघव	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अर्चना अरोड़ा, विशेष सचिव

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 18th May, 2009

No. F. III/104/CTT/2006/Esst./Notification/1468.— In exercise of the power conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officer, with immediate effect, to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :—

Sl. No.	Name of the Officer (Sh/Smt./Km)	Appointed As
1.	Sh. Prashant Raghav	Assistant Value Added Tax Officer

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ARCHNA ARORA, Spl. Secy.

1870 DG/09—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.